भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4426

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा में शहरी बाढ़ प्रबंधन

4426. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में शहरी बाढ़ संबंधी जोखिमों और संवेदनशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा में शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में कोई स्थाई जल निकासी प्रणाली अथवा बाढ़ रोधी अवसंरचना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ओडिशा में पूर्व चेतावनी प्रणाली और बाढ़ उपशमन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरण शहर स्तर पर जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। सरकार शहरी नियोजन ईकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक है जिसमें बाढ़ को कम और समाप्त करने के लिए नालियों/वर्षा जल नालियों का निर्माण और सुधार कार्य शामिल है। अमृत के तहत, ओडिशा राज्य ने कोई जल निकासी परियोजना नहीं शुरू की है।

अक्टूबर, 2021 में शुरू किए गए अमृत 2.0 के तहत जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार करना मुख्य घटकों में से एक है। इसके तहत स्वीकार्य घटकों में वर्षा जल को वर्षा जल नालियों के माध्यम से जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं मिल रहा है) में संचयित करना शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, ओडिशा में अब तक 184.31 करोड़ रु. की लागत वाली 137 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:-

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf

iii. शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए 2021 में नदी केन्द्रित शहरी नियोजन दिशा-निर्देश

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शी दस्तावेज़

https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में, सरकार ने बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन/उन्नयन/पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें वर्षा जल निकासी क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल की जा सकती हैं। यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषण इस शर्त के साथ करेगा कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी से वित्तपोषित किया जाएगा।

*****